पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020-21/ 14500 भोपाल, दिनांक 22/12/2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-धार/अलीराजपुर
म0प्र0।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना क्रमांक-8775 जिला प्रशासन योजना(डीआरडीए) अंतर्गत बजट आबंटन जारी करने बाबत्।**

संदर्भ:- **जिला पंचायत धार का पत्र पृ.क्रमांक/3551/स्थापना/2020, दिनांक 27.11.2020 तथा संयुक्त संचालक(डीआरडीए) पंचायत राज संचालनालय की नेमीटीप क्रमांक/ डीआरडीए/पं.रा./2020/13597, दिनांक 02.12.2020**

– 00 –

उपरोक्त संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला प्रशासन योजना (डीआरडीए) योजान्तर्गत प्राप्त मांग पत्र के आधार पर राशि 612969/-(राशि रूपये-छः लाख बारह हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र) का आवंटन आपके अधिकार क्षेत्र में निम्नानुसार सौंपा जाता हैं:-

(राशि रूपये में)

स.क्र.	जिला पंचायत	डी.डी.ओ. कोड्	आवंटित राशि
1	2	3	4
1.	जिला पंचायत धार	1105802008	394198.00
2.	जिला पंचायत अलीराजपुर	4905802002	218771.00
योग(राशि रूपये-छः लाख बारह हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र)			**612969.00**

उक्त व्यय मांग संख्या-53-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-{198-ग्राम पंचायतों को सहायता}-(8775)-प्रशासन योजना जिला स्तर-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-#42-सहायक अनुदान-007-अन्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तद्संबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

(1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।

निरंतर...

(2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

(3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारुप में अनिर्वायतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।

(4) संचालनालय व्दारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।

(5) संचालनालय व्दारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(संचालक द्वारा आदेशित)

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020–21/1450 भोपाल, दिनांक 22/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. वित्तीय सलाहकार, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग विकास आयुक्त कार्यालय विंध्याचल भवन भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला–धार/अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
7. कोषालय अधिकारी, जिला–धार/अलीराजपुर मध्यप्रदेश।
8. संयुक्त संचालक(स्थापना डीआरडीए) पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल की ओर संदर्भित पत्र एवं नेमीटीप के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।
9. श्री राधुसिंह बिलवाल, तात्कालीन परियोजना अधिकारी जिला पंचायत धार(50 गोपाल कालोनी झाबुआ म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
10. श्री दिनेश जैन, तकनीकी सहायक जिला पंचायत अलीराजपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
11. निज सहायक संचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ।

22/12/2020

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश